झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य / 219 / 2018 ..../ राँची, दिनांकः ....

प्रेषकः

ई॰ राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभियत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमंडल राँची अंतर्गत राँची जिले के अनगड़ा प्रखंड में रूसुजारा वीयर से पुटादाग सिंचाई नाला निर्माण हेतु लागत राशि रू0 161.100 लाख (रूपये एक करोड़ एकसठ लाख दस हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमंडल राँची अंतर्गत राँची जिले के अनगड़ा प्रखंड में रूसुजारा वीयर से पुटादाग सिंचाई नाला निर्माण हेतु लागत राशि रू0 161.100 लाख (रूपये एक करोड़ एकसठ लाख दस हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत प्रस्ताव सक्षम प्राधिकार द्वारा तकनीकी अनुमोदनोपरांत प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर है।

3. राँची जिला के अनगड़ा प्रखंड अंतर्गत बोड़िया नाला पर रूसूजारा वीयर जुमला, सहेदा ग्राम में सिंचाई हेतु पूर्व से निर्मित है। उक्त वीयर से सिंचाई हेतु 50मी0 में पक्का चैनल भी निर्मित है। एवं उससे आगे ग्रामीणों द्वारा कच्चा चैनल निर्माण कर सिचाई किया जा रहा है। कच्चा चैनल की स्थिति जर्जर होने के कारण सिंचाई बाधित है, जिस हेतु पक्का चैनल के निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गई है।

4. इस योजना का निर्माण लागत राशि रू॰ 161.100 लाख है। उक्त योजना के निर्माण के उपरांत कुल 97 हे0 (खरीफ 74 हे0 एवं रबी–23 हे0) क्षेत्र में सिचंन क्षमता सृजित होगी। वर्त्तमान में इस योजना से कुल 12 हे0 (खरीफ–10 हे0 एवं रबी 2 हे0) क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। इस कार्य का औसत इंसीडेंस ऑफ कॉस्ट रू॰ 166082 / –प्रति हेक्टेयर आकलित है।

5. इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नशर्त्तो के साथ प्रदान की जाती हैः–

(क) इस कार्य के पूर्व एवं कार्य करने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जाएगा।

(ख) नियमानुसार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्री–लेवल माप पुस्त में अंकित किया जाएगा एवं इसकी शत प्रतिशत जाँच सहायक अभियंता के द्वारा एंव (50%) पचास प्रतिशत जाँच कार्यपालक अभियंता द्वारा की जाएगी। प्री–लेवल की जांच असम्बंद्ध प्रमंडल से कराने के उपरांत कार्यकारी प्राक्कलन तैयार किया जायगा।

(ग) रूसुजारा वीयर से पुटादाग सिंचाई नाला के निर्माण में, मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची के रूपांकण संगठन द्वारा स्थल निरीक्षण के क्रम में दिए गए निम्न शर्तो का अनुपालन सूनिश्चित किया जाएगा।

(i) स्वीकृत योजना में नाला का L-Section कार्यकारी प्राक्कलन में संलग्न किया जाएगा एवं नाला के Bed level में Difference के अनुसार Energy Dissipater का प्रावधान किया जाएगा।

(ii) नाला एवं Natural Drain के Crossing पर Cross Drainge (C.D) का प्रावधान किया जाएगा।

(iii) कार्य के दौरान संबंधित पदाधिकारी सूक्ष्म पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगें।

(घ) कराये जाने वाले कार्य की प्रकृति के अनुरूप अनुसूचित दर के मद को रखते हुए प्राक्कलन की स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी।

(ङ) योजना के कार्यान्वयन के पूर्व कार्यकारी प्राक्कलन में Manual Labour को प्राथमिकता दी जाएगी एवं इससे संबंधित मदो का यथास्थित समावेश करते हुए प्राक्कलन की स्वीकृति दी जाएगी।

(च) यदि योजना पर विगत पाँच वर्षो में किसी भी मद से पुनर्स्थापन / जीर्णोद्धार का कार्य कराया गया है तो योजना का कार्यान्वियन नहीं कराया जायगा।

(छ) योजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में वन संरक्षक/वन प्रमंडल पदाधिकारी राँची के पत्रांक–262 दिनांक–23.01.2018 में अंकित शर्तो का अनुपालन सूनिश्चित किया जाएगा।

(ज) इस योजना का निर्माण लोक निर्माण संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व लाभुक समिति का गठन किया जाएगा, जिनपर योजना के रख–रखाव का दायित्व होगा। **जिस कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति लाभुक समिति से प्राप्त नहीं होगा, उस स्थल पर योजना का जीर्णोद्धार कार्य आरम्भ नहीं किया जायेगा।**

(झ) उपरोक्त कंडिका '5' (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) के सम्पुष्टि के उपरांत ही योजना का कार्यान्वयन् प्रारंभ किया जाएगा।

6. इस कार्य पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष ''मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–18–चालु लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य'' अंतर्गत भारित होगा।

7. इस योजना का जीर्णोद्धार कार्य वर्ष 2018–19 में प्रारम्भ कर 2019–20 तक पूर्ण किया जाएगा।

8. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी संबंधित मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची होंगे।

9. इस कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों एंव अन्य विहित प्रक्रियाओं तथा मानको का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

10. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

11. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

12. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिंयत्रण)

पत्रांकः–3/पी॰एम॰सी॰/कार्य/219/2018 ..../राँची, दिनांकः ....
प्रतिलिपिः योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिंयत्रण)

पत्रांकः–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य / 219 / 2018 .... **/ राँची, दिनांकः** ....
प्रतिलिपिः संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य / 219 / 2018 .... **/ राँची, दिनांकः** ....
प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग / अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग / अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3 / अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल राँची / कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल राँची / प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

ह0 / –
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य / 219 / 2018 .... **/ राँची, दिनांकः** ....
प्रतिलिपिः आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल राँची को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0 / –
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य / 219 / 2018 .... **/ राँची, दिनांकः** ....
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य / 219 / 2018 12/18-19 पु॰ स्वी॰ **/ राँची, दिनांकः** 11.06.2018
प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11/06/2018
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)
11/06/18